लय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

2024/256
रसिंह पुत्र श्री अवतारसिंह जाति जटसिख साकिन 7 एमके तहसील रायसिंहनगर
अनूपगढ़ राज.।
रसिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख साकिन 7 एमके तहसील रायसिंहनगर
अनूपगढ़ राज.।
कौर पत्नी अवतारसिंह जाति जटसिख साकिन 7 एमके तहसील रायसिंहनगर
अनूपगढ़ राज.। —:वादीगण

बनाम

रकौर पत्नी श्री सुरेन्द्रजीतसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी
न जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।
वीरसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रजीतसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी
न जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।
रानी पत्नी गगनवीरसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान
ला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।
लीन कौर पुत्री श्री गगनवीर सिंह (नाबालिग) जरिये माता रेखारानी पत्नी गगनवीर
ह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान जिला फतेहगढ़ साहिब
जाब।
जीत सिंह पुत्र श्री चरणसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान
ला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।
रेन्द्रजीत कौर पुत्री श्री चरणसिंह पत्नी नामदारसिंह जाति जटसिख साकिन 60 जी.बी.
हसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ़ राजस्थान।
गजीत कौर पुत्री चरणसिंह जाति जटसिख साकिन 6 एफएफ तहसील व जिला श्री
गंगानगर राज.।
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—92ए—188—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 30.04.2024

तअधिवक्तागण
श्री अवतारसिंह बराड़ अधि. वादी।
श्री हरपालसिंह प्रति.सं.. 2।

—: निर्णय :— दिनांक : 12.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति सुरेन्द्रजीत सिंह के नाम से चक 7 एम के तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 का पत्थर नं. 143/288 का मु.नं. 38 कि.नं. 6 ता 9/3 की कुल 0.987 मय खाला व इसी चक के पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30 कि.नं. 1 ता [illegible] 7. 312 है. नहरी भूमि मय खाला खातेदारी है वर्तमान में [illegible] के नाम से उनके हिस्सा अनुसार भूमि [illegible] तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या [illegible] 10 में प्रति[illegible] वतारकौर का 69/7312 हिस्सा एवं वादी अव[illegible] 7312 हिस्सा एवं वादी कशमीरसिंह का 383/[illegible] हिस्सा एवं [illegible] कौर का 35/7312 हिस्सा प्रतिवादी धर्मजीतसिंह का 1672/73[illegible] हिस्सा व प्रतिवादी नरेन्द्रजीत का 13/457 हिस्सा एवं प्रभजीतकौर का 13/457 हिस्सा प्रतिवादी रेखारानी का 35/7312 हिस्सा प्रतिवादी राजवीरसिंह का 35/3656 हिस्सा तथा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:21:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

13/2024
...एस : 2024/256

...मीरसिंह पुत्र श्री अवतारसिंह जाति जटसिख साकिन 7 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

...वतारसिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख साकिन 7 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ. राज.।

...न्द्रकौर पत्नी अवतारसिंह जाति जटसिख साकिन 7 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

—:वादीगण

बनाम

...वतारकौर पत्नी श्री सुरेन्द्रजीतसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।

राजवीरसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रजीतसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।

रेखारानी पत्नी गगनवीरसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।

जसलीन कौर पुत्री श्री गगनवीर सिंह (नाबालिग) जरिये माता रेखारानी पत्नी गगनवीर सिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।

5. धर्मजीत सिंह पुत्र श्री चरणसिंह जाति जटसिख साकिन भागनपुर तहसील बस्सी पठान जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब।

6. नरेन्द्रजीत कौर पुत्री श्री चरणसिंह पत्नी नामदारसिंह जाति जटसिख साकिन 60 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ राजस्थान।

7. प्रमजीत कौर पुत्री चरणसिंह जाति जटसिख साकिन 6 एफएफ तहसील व जिला श्री गंगानगर राज.।

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—92ए—188—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 30.04.2024

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री अवतारसिंह बराड़ अधि. वादी।
2. श्री हरपालसिंह प्रति.सं.. 2।

—: निर्णय :— दिनांक : 12.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति सुरेन्द्रजीत सिंह के नाम से चक 7 एम के तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 का पत्थर नं. 143/288 का मु.नं. 38 कि.नं. 6 ता 9/3 की कुल 0.987 मय खाला व इसी चक के पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30 कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 मय खाला इस प्रकार कुल 7.312 है. नहरी भूमि मय खाला खातेदारी है वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी के नाम से उनके हिस्सा अनुसार भूमि अगली धारा में वर्णित ... 7 एमके तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 ... प्रतिवादी अवतारकौर का 69/7312 हिस्सा एवं वादी अवतारसिंह का 105/3656 ... /7312 हिस्सा एवं वादी कशमीरसिंह का 383/3656 हिस्सा एवं प्रतिवादी ... जसलीन कौर का 35/7312 हिस्सा प्रतिवादी धर्मजीत ... हिस्सा व प्रतिवादी नरेन्द्रजीत का 13/457 हिस्सा एवं प्रमजीतकौर का 13/457 हिस्सा प्रतिवादी रेखारानी का 35/7312 हिस्सा प्रतिवादी राजवीरसिंह का 35/3656 हिस्सा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:21:30 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

वादी सुरेन्द्रकौर 209/3656 हिस्सा है प्रतिवादीया अवतारकौर व राजवीरसिंह के पिता
सुरेन्द्रजीतसिंह का 579/3656 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी मृत्यु हो
चुकी है मृत्यु के पश्चात उनका हिस्सा प्रतिवादी अवतारकौर व राजवीरसिंह का
विरास्तन हो गया है समस्त पक्षकारों का हिस्साप राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज
है। पक्षकारों की भूमि मुस्तरखा खाता में है तथा प्रतिवादीगण चक 7 एमके में निवास
नहीं करते उनके द्वारा अपने हिस्सा की भूमि ठेका हिस्सा पर काश्त करवायी जाती
थी इसलिये काश्त की सुविधा के लिये पक्षकारों के द्वारा भूमि पर बंटवारा किया
हुआ है जिसमें वादीगण को एक ही परिवार होने के कारण चक 7 एम के तहसील
रायसिंहनगर का खाता संख्या नया 13 पुराना 10 में पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30
का कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18 व 23 ता 25 सालम–सालम उनके हिस्सा की भूमि दी
हुई है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है जो शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इसके
अलावा प्रतिवादीगण के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि भी वादीगण को पिछले दो वर्ष से
लगातार ठेका पर काश्त करवाई जा रही है इस प्रकार चक 7 एमके तहसील
रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 के समस्त 7.312 है. भूमि पर
वादीगण का कब्जा चला आ रहा है वादीगण के द्वारा उनके घरू बंटवारा में मिली
कब्जाकाश्त की भूमि को अपने मेहनत लगाकर गोबर की खाद आदि डालकर तथा
कराहा आदि लगाकर अपनी मेहनत से उपजाउ बनाया हुआ है परन्तु प्रतिवादीगण के
मन में वादीगण की उपजाउ भूमि देखकर मन में लालच आ गया है तथा अब वे
वादीगण को उसकी उपजाउ भूमि से उन्हे बेदखल कर भूमि को आगे विक्रय करने
की धमकी दी जा रही है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है तथा भूमि
मुस्तरका खाता में है पक्षकारों के द्वारा घरू बंटवारा किया हुआ है वादीगण मुस्तरका
खाता में प्रतिवादीगण के मुस्तरका खाता की भूमि अन्य ग्राहक के मूल्य के बराबर
खरीदने को तैयार है और वादीगण का मुस्तरका खाता की भूमि पर पथम हक बनता
है क्योंकि प्रतिवादीगण वादीगण के परिवार के सदस्य है परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा
वादीगण के हैरान परेशान करने के लिये तथा वादीगण की उपजाउ भूमि को हडप
करने के लिये बाहर के काश्तकारों को भूमि विक्रय की जा रही है इसलिये वादीगण
अपने अधिकारों के सुरक्षा के लिये न्यायालय के शरण मे आना पड रहा है। वादग्रस्त
भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का हिस्सा घरू बंटवारा में वादीगण को
अलग दिया हुआ है की सम्पति होने के कारण समस्त शेष रकबा वादीगण ठेका
हिस्सा पर काश्त कर रहे है प्रतिवादीगण के स्वयं के द्वारा भूमि काश्त नही की जा
रही इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनता है सुविधा का संतुलन
भी वादीगण के पक्ष में है अगर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण को बेदखल कर उनके
कब्जा काश्त की भूमि पर अन्य का कब्जा करवाया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय
क्षति होगी। वादीग्रस्त भूमि रायसिंहनगर उपखण्ड की है इसलिये श्रीमान् न्यायालय
को इस दावा की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है । प्रतिवादी संख्या 3 मुरब्बामी है जो
आवश्यक पक्षकार है इसलिये उसे वाद में पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र उचित
न्यायालय शुल्क पर पेश किया है अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद
वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री सादिर फरमाया जावे। 1. चक 7 एमके
तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 का पत्थर नं. 143/288
का मु.नं. 38 का मु.नं. 38 कि.नं. 6 ता 9/3 की कुल 0.987 मय खाला इसी चक के
पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30 कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. मय खाला इस
प्रकार कुल 7.312 है. नहरी भूमि मय खाला में चक 7 एम के तहसील रायसिंहनगर
का खाता संख्या नया 13 पुराना 10 में पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30 का कि.नं. 3 ता
8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम–सालम वादीगण की खातेदारी है वादीगण के हिस्से
की घोषणा अनुसार रकबा खाता विभाजन कर वादीगण ... से अलग से राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब
किया गया। प्रति.सं. 2 की तरफ से श्री ... अधिवक्ता ने वकालतनामा
पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। ... ने दिनांक 09.10.2024 को
जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त वाद पत्र में
वादीगण के हिस्सा तक विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र का निस्तारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:21:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

किया जावे। वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। अन्य काश्तकारगण की तरफ से कोई अन्तिर नहीं आया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादीगण अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर पर विवादग्रस्त भूमि मुताबिक जमाबन्दी चक 7 एम के तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 का पत्थर नं. 143/288 का मु.नं. 38 कि.नं. 6 ता 9/3 की कुल 0.987 मय खाला व इसी चक के पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30 कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 मय खाला इस प्रकार कुल 7.312 है. नहरी भूमि मय खाला खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त व हक एवं हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांक: रीडर/2024/927 दिनांक 16.10.2024 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांक: भू.-अ./2025/1716 दिनांक 02.04.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 7 एम के तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 का पत्थर नं. 143/288 का मु.नं. 38 कि.नं. 6 ता 9/3 की कुल 0.987 मय खाला व इसी चक के पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30 कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 मय खाला इस प्रकार कुल 7.312 है. नहरी भूमि मय खाला खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपोर्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. अवतारसिंह पुत्र भागसिंह 1.673 है., सुरेन्द्र कौर पत्नी अवतारसिंह 0.418 है. कशमीरसिंह पुत्र अवतारसिंह 1.766 है. जाति जटसिख रहन बदस्तूर चक 7 एमके मु.नं. 30 के कि.नं. 4/1 में .228, 4/2 में .025 खाला, 5/1 में .228, 5/2 में 0.025 खाला, 6 ता 8/0.759, 13 ता 18/1.518 23 ता 25/0.759 योग 3.542 है. मु.नं. 38 कि.नं. 7/0.227, 8/0.088 योग 0.315 है. दोनो मुरब्बों का कुल योग 3.857 है. नहरी मय खाला कमाण्ड भूमि।
2. अवतारकौर पत्नी सुरेन्द्रसिंह 0.069 है. नाबालिग जसलीनकौर पुत्री गगनदीपसिंह संरक्षक जरिये माता रेखा रानी 0.035है., धमजीतसिंह पुत्र चरणसिंह 1.672 है. परमजीतसिंह पुत्र जरनैलसिंह 0.416है. रेखारानी पत्नी गगनदीपसिंह 0.035 है. राजवीरसिंह पुत्र सुरेन्द्रजीतसिंह 0.070है, सुरेन्द्रजीतसिंह पुत्र चरणसिंह [illegible] जाति जटसिख खातेदार रहन बदस्तूर चक 7 एमके मु.नं. 30 कि.नं. 1 [illegible] 1/2/0.025 खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025खाला, 3/1/0.22[illegible] [illegible] 0.025 खाला, 9 ता 12/1.012, 19 ता 22/1.012 है. योग 2.783 है. मु.नं. 3[illegible] नं. 6/0.228, 7/0.026, 8/0.165, 9/1/0.038, 9/2/0.025 खाला 9 [illegible] 0.190 योग 0.672 है दोनों मुरब्बो का कुल योग 3.455 है. खातेदार भूमि।

4. बहस वादी अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी [illegible] वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित [illegible]

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण [illegible] आशय की जारी की जाती है कि वाके चक 7 एम के तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 13 पुराना 10 का पत्थर नं. 143/288 का मु.नं. 38 कि.नं. 6 ता 9/3 की कुल 0.987 मय खाला व इसी चक के पत्थर नं. 149/287 मु.नं. 30 कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 मय खाला इस

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:21:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार कुल 7.312 है. नहरी भूमि मय खाला खातेदारी भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बटवारा अर्थात विभाजन निम्नलिखित रूप से किया जाता है:-

1. अवतारसिंह पुत्र भागसिंह 1.673 है, सुरेन्द्र कौर पत्नी अवतारसिंह 0.418 है., कशमीरसिंह पुत्र अवतारसिंह 1.766 है जाति जटसिख रहन बदस्तूर चक 7 एमके मु.नं. 30 के कि.नं. 4/1 में .228, 4/2 में .025 खाला, 5/1 में .228, 5/2 में 0.025 खाला, 6 ता 8/0.759, 13 ता 18/1.518 23 ता 25/0.759 योग 3.542 है. मु.नं. 38 कि.नं. 7/0.227, 8/0.088 योग 0.315 है. दोनो मुरब्बों का कुल योग 3.857 है. नहरी मय खाला कमाण्ड भूमि।
2. अवतारकौर पत्नी सुरेन्द्रसिंह 0.069 है. नाबालिग जसलीनकौर पुत्री गगनवीरसिंह संरक्षक जरिये माता रेखा रानी 0.035है., धर्मजीतसिंह पुत्र चरणसिंह 1.672 है, परमजीतसिंह पुत्र जरनैलसिंह 0.416है. रेखारानी पत्नी गगनवीरसिंह 0.035 है, राजवीरसिंह पुत्र सुरेन्द्रजीतसिंह 0.070है. सुरेन्द्रजीतसिंह पुत्र चरणसिंह 1.153 है. जाति जटसिख खातेदार रहन बदस्तूर चक 7 एमके मु.नं. 30 कि.नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025खाला, 3/1/0.228, 3/2/ 0.025 खाला, 9 ता 12/1.012, 19 ता 22/1.012 है. योग 2.783 है., मु.नं. 38 कि.नं. 6/0.228, 7/0.026, 8/0.183, 9/1/0.038, 9/2/0.025 खाला, 9/3/ 0.190 योग 0.672 है दोनों मुरब्बों का कुल योग 3.455 है. खातेदार भूमि। रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

(सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर ... सुनाया गया।

(सुभाषचन्द्र ...)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:21:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner